भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4585

उत्तर देने की तारीख: 27.03.2025

जनजातीय कारीगरों का संरक्षण

4585. श्री बंटी विवेक साहू:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से जनजातीय कारीगरों और उद्यमियों पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि बड़े निगमों की भागीदारी से जनजातीय उत्पादकों का शोषण न हो;

(ग) कॉरपोरेट और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ वार्तालाप में पारम्परिक जनजातीय ज्ञान और बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त समझौता ज्ञापन को भारत के व्यापक व्यापार और सांस्कृतिक राजनयिक उद्देश्यों के साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए रिलायंस रिटेल, एचसीएल फाउंडेशन और तोराजामेलो इंडोनेशिया जैसे संगठनों के साथ सहयोग किया है। जनजातीय कारीगरों को सहायता (समर्थन) देने के लिए निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

i. उत्पाद डिजाइन में सुधार करना।

ii. प्रौद्योगिकी का समावेश (आधान)।

iii. बाजार पहुंच में वृद्धि।

इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य जनजातीय उत्पादों को सुदृढ़ करना और उनका प्रसार करना तथा देश के विभिन्न हिस्सों में उनकी संस्कृति को बढ़ावा देना है। इन सहयोगों का उद्देश्य अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापक बाजार पहुंच प्रदान करना और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) सहित सभी वर्गों को स्थायी आजीविका में सहायता करना है। ये पहलें उद्यमिता, कौशल विकास और जनजातीय शिल्प कौशल की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देंगी।

*****